



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना कोतवाली शहर

दिनांक 11.08.2026

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 625/2026 धारा 305(a) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को चोरी किये गए माल सहित गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 06.08.2026 को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादिनी के यामहा शोरूम में रखे सामान इंजन ऑयल, लाईट एसेम्बल 2 बैटरे व अन्य सामान चोरी कर लेने के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 625 /2026 धारा 305(a) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त घटना से संबंधित अभियुक्त सागर पुत्र अतर सिंह निवासी ग्राम जलालपुर काजी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को चोरी का एक बैटरा ल्युमिनस कंपनी, 14 डिब्बे इंजन आयल व 02 स्पेयर पार्ट बाईक व घटना में प्रयुक्त एक बाईक याम्हा FZX सहित गिरफ्तार किया गया । बरामदगी के आधार पर मुकदमा उक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सागर पुत्र अतर सिंह निवासी ग्राम जलालपुर काजी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।

बरामदगी का विवरण:-

एक बैटरा ल्युमिनस कंपनी, 14 डिब्बे इंजन आयल, 02 स्पेयर पार्ट बाईक व घटना में प्रयुक्त एक बाईक याम्हा FZX

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 श्री शेखर चौधरी थाना को0शहर जनपद बिजनौर ।
2. का0 1475 अश्विनी थाना को0शहर जनपद बिजनौर ।
3. का0 1643 अक्षय थाना को0शहर जनपद बिजनौर ।
4. का0 2070 मोहित कुमार थाना को0शहर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट- थाना मण्डावर

दिनांक 11-08-2026

थाना मण्डावर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 190/2026 धारा 109(1)/324(2) बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार किया गया।

सक्षिप्त विवरण -

दिनांक 29.06.2026 को वादी श्री पवन कुमार पुत्र बलवन्त सिंह निवासी ग्राम शहबाजपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर द्वारा थाना मण्डावर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1.अरुण पुत्र चन्द्रपाल 2.अमित पुत्र जितेन्द्र 3.सुन्दरम पुत्र सुरेश 4.रज्जू पुत्र नामालूम निवासीगण ग्राम शहबाजपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के पुत्र की गाडी के साथ तोड-फोड करते हुए जान से मारने की नियत से उसके ऊपर तमचे से फायर किया गया।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मण्डावर पर मु0अ0सं0 190/26 धारा 109(1)/324(2) बीएनएस बनाम अरुण आदि 04 नफर उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही-

आज दिनांक 11.08.2026 को थाना मण्डावर पुलिस टीम द्वारा अभियोग उपरोक्त में वांछित अभियुक्त रजनीश उर्फ रज्जू पुत्र अशोक निवासी ग्राम इनामपुरा थाना मण्डावर जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार किया गया तथा अभियोग उपरोक्त में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

रजनीश उर्फ रज्जू पुत्र अशोक निवासी ग्राम इनामपुरा थाना मण्डावर जनपद बिजनौर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त रजनीश उपरोक्त-

- 1-मु0अ0सं0 89/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मंडावर जनपद बिजनौर।
- 2- मु0अ0सं0 161/24 धारा 504/506 आईपीसी थाना मंडावर जनपद बिजनौर।
- 3- मु0अ0सं0 216/2026 धारा 115(2)/352/351(2) बीएनएस थाना मंडावर जनपद बिजनौर।
- 4--मु0अ0सं0 190/2026 धारा 109(1)/324(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना मंडावर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्री मनोज कुमार थाना मंडावर जनपद बिजनौर।
- 2.का0 2419 विकास कुमार थाना मंडावर जनपद बिजनौर।
- 3.का0 1075 अजित थाना मंडावर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट - थाना मंडावर

दिनांक 11/08/2026

थाना मण्डावर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 215/26 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 05.08.2026 को वादी श्री जावेद पुत्र मौ0 अरिफ निवासी मौहल्ला बाजार कला कस्बा व थाना मण्डावर जनपद बिजनौर ने थाना मंडावर पर लिखित तहरीर दी कि 04 अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा वादी के ईट के भट्टे के चौकीदीर को डरा धमकाकर 1800 रु0 नकद, एक मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी, एक LED, एक DVR छीन कर ले गए।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मण्डावर पर मु0अ0सं0 215/26 धारा 309(4) बी0एन0एस0 बनाम 04 अज्ञात अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचना के दौरान उक्त घटना में अभियुक्त अंकुश पुत्र सुनील निवासी ग्राम इनामपुरा थाना मण्डावर जनपद बिजनौर प्रकाश में आये।



कार्यवाही-

आज थाना मंडावर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त अंकुश पुत्र सुनील निवासी ग्राम इनामपुरा थाना मण्डावर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशादेही पर घटना से संबंधित एक LED को बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस वृद्धि की गई। अन्य अभियुक्तों के सम्बंध में विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

अंकुश पुत्र सुनील निवासी ग्राम इनामपुरा थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरण

एक LED

अपराधिक इतिहास:-

1 अंकुश पुत्र सुनील निवासी ग्राम इनामपुरा थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
मु0अ0सं0 215/26 धारा 309(4)/317(2) बी0एन0एस0 थाना मंडावर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री विपिन कुमार थाना मण्डावर बिजनौर
2. उ0नि0 श्री मनोज कुमार थाना मण्डावर बिजनौर
3. हे0 का0 08 अमित राणा थाना मण्डावर बिजनौर,
4. का0 1075 अजित कुमार थाना मण्डावर बिजनौर
5. रि0 का0 2999 वैभव तोमर थाना मंडावर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:-थाना धामपुर

दिनांक 11.08.2026

थाना धामपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त को एक अवैध तमंचे सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन तथा अपने साथ अवैध शस्त्रों को रखने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 11.08.2026 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त शिवम रस्तौगी उर्फ छोटू पुत्र सुन्दर लाल रस्तौगी निवासी मौहल्ला कैथ वाली मस्जिद राजद्वारा कोतवाली रामपुर जनपद रामपुर हाल निवासी राजपूत कालौनी थाना धामपुर जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 320/26 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

शिवम रस्तौगी उर्फ छोटू पुत्र सुन्दर लाल रस्तौगी निवासी मौहल्ला कैथ वाली मस्जिद राजद्वारा कोतवाली रामपुर जनपद रामपुर हाल निवासी राजपूत कालौनी थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शिवम रस्तौगी उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0-388/17 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली जनपद रामपुर
2. मु0अ0सं0 320/26 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना धामपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण:-

01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 प्रदीप कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
2. मुख्य आरक्षी धर्मवीर खोखर थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
3. आरक्षी 3130 अवनी थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।